राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2011/2011/सिरोही

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मरूधर यार्न प्रा. लि. तिरूपति नगर, आबूरोड़ ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के. अजमेरा

उप–राजकीय अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री के.एल. चंचावत

अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

1. उक्त अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर द्वितीय वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा गया है) के द्वारा अपील सं. 120/आरवैट/सिरोही/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.03.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे '**अधिनियम**' कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकरी, प्रतिकरापंवचन प्रथम, आबूरोड़ (जिसे आगे "**सक्षम अधिकारी**" कहा जायेगा) के द्वारा दिनांक 25.04.2010 को वाहन संख्या RJ04-GA-0677 को नेशनल हाईवे 14 पर रोक कर जांच करने पर वाहन में माल "**फाइबर वेस्ट**" परिवाहनित किया जा रहा था। परिवाहनित माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा दस्तावेज पेश किये। परन्तु परिवहनित माल के साथ वेट–47 नहीं पाया गया। चुंकि परिवाहनित माल अधिसूचित वस्तु था, जिसके परिवाहन के साथ वेट–47 होना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम की धारा 76(2)(B) सपठित नियम 53 का उल्लघंन माना तथा अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में आयातकर्ता फर्म द्वारा उपस्थिति होकर जवाब पेश किया गया। समक्ष अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के जवाब को असन्तोषजनक मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कर व शास्ति कुल राशि रूपये 1,37,310/– आरोपित की गयी। समक्ष अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.06.2010 से अपील स्वीकार करके समक्ष अधिकारी द्वारा पारित शास्ति के आदेश अपास्त कर दिया गया। समक्ष अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

31/05/17

लगातार....................2.

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.03.2011 का खण्डन करते हुए कथन किया कि परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी की वस्तु है, जिसके परिवहन के दौरान घोषण पत्र वेट-47 होना आज्ञापक है। जांच के दौरान वाहन चालक द्वारा घोषणा प्रपत्र वेट-47 प्रस्तुत नहीं किया गया व प्रत्यर्थी फर्म द्वारा अपने जवाब के साथ रिक्त घोषण पत्र वेट-47 पेश किया गया, जो कि अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लघंन है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण किया गया था, जिससे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया गया, जो की विधि विरूद्ध है। राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक राजस्व की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.03.2011 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा मुम्बई से आबूरोड स्टॉक ट्रॉसफर हेतु माल परिवहनित किया जा रहा था, न कि विक्रय हेतु परिवाहनित किया जा रहा था। अतः इस माल पर वेट-47 की कोई आवश्यकता नहीं थी। किन्तु फिर भी व्यवहारी द्वारा जवाब में साथ प्रपत्र VAT-47 प्रस्तुत कर दिया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे विक्रय मानते हुए वेट-47 की अनिवार्यता मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है, जो अविधिक था। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों की सही व्याख्या करते हुए व विधिक प्रावधानों के अनुकूल आदेश पारित किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.03.2011 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने इस कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.03.2011 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा **मैसर्स डी.पी. मैटल्स** 124 एस.टी.सी. 611 एवं **मैसर्स शेरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी** के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मन अध्ययन किया गया।

7. विभागीय पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा मुम्बई से आबूरोड जो माल परिवहनित किया गया। वक्त चैंकिग वाहन चालक द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का था तथा उसके साथ प्रारूप वैट-47 नहीं पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म को अधिनियम की धारा 76(2) के नियम 53 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में फर्म के द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा लिखित

31/05/17

लगातार....................3.

जवाब पेश करते हुए वैट–47 पेश किया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **मैसर्स डी.पी. मैटल्स** 124 एस.टी.सी. 611 के आलोक में, आरोपित शास्ति अपास्त की गईं।

8. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2001) 124 एस.टी.सी. 611 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी.पी. मैटल्स में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

"................. Once the ingredients of section 78(5) are established, after giving a hearing and complying with the principles of natural justice, there is no discretion not to levy or levy lesser amount of penalty. If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same."

न्यायिक दृष्टांत **मैसर्स डी.पी. मैटल्स** 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का **मैसर्स शेरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी** S.B. Sales Tax Revision Petition No. 190/2012 निर्णय दिनांक 07.01.2013 के मामले में अनुसरण किया गया जिसके सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है:–

"The Hon'ble supreme court of India in case of D.P. metals (supra) has categorically held that on show cause notice regard to alleged contravention/deficiency found in a respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the viechle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by the themselves indicative of the bonafides of the transit of the goods. Following in the case of DP metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day petitioner assesse having furnished form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under section 76(6) of the RVAT Act."

9. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ वेट–47 प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों **मैसर्स डी.पी. मैटल्स** 124 एस.टी.सी. 611 एवं **मैसर्स शेरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी** में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर

31/05/17

लगातार....................4.

चस्पा होते है जिसमें व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ घोषणा पत्र वेट-47 प्रस्तुत कर दिये जाने से धारा 76 में कोई उल्लघंन कारित नहीं किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2011 को पारित करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में वर्तमान प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं उचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2011 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

10. परिणामस्वरूप उक्त अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.03.2011 की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

31/05/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य